प्रेस नोट 22/11/2021

अवैध रूप से भारत में प्रवेश कर रह रही बाग्लादेशी महिला व एक व्यक्ति गिरफ्तार, कब्जे से फर्जी दस्तावेज बरामद–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री सुशील घुले के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली पुलिस को उस समय अहम सफलता हाथ लगी जब जरिये मुखबिर की सूचना पर दिनांक 21.11.2021 को ब्रम्हस्थान थाना कोतवाली से एक दम्पत्ती को पकड़ा गया, पकड़े गये दम्पत्ति में लड़के की पहचान गुलशन राजभर (उम्र लगभग 25 वर्ष) पुत्र श्रवण राजभर नि0 युसुफपुरा ड़ाडी थाना कोपागंज के रूप में एवं लड़की की पहचान फरजाना खातून उर्फ सोना राजभर (उम्र लगभग 26 वर्ष) पुत्री फरमान अली खान नि0 असनारा थाना मधुपुर जिला तन्गेल बाग्लादेश के रूप में हुई तथा कब्जे से 02 फर्जी पासपोर्ट (भारत व बांग्लादेश), आधार कार्ड व बैंक पासबुक इत्यादि बरामद किया गया।

कड़ाई से पूछताछ के दौरान महिला द्वारा बताया गया कि जार्डन में नौकरी के दौरान फेसबुक के माध्यम से उसकी दोस्ती उक्त गुलशन कुमार से हो गयी तथा दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। हम एक दूसरे से बात करके माह अक्टूबर 2020 में अपने देश बांग्लादेश से नाव से भारत में पश्चिम बंगाल आ गयी तथा वहां से बस से कोलकाता आयी जहां पर गुलशन मेरा इंतजार कर रहा था, हम दोनों गुलशन के गांव आ गये। हम दोनों मिलकर यहां का फर्जी आधार कार्ड सोना राजभ पत्नी गुलशन राजभर के नाम से बनवाया फिर दोनों विवाह सम्बन्ध नोटरी शपथ पत्र बनवाये तथा एस0बी0आई0 बैक में खाता भी खुलवाया। इस सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर उक्त अभियुक्तों के विरुद्ध मु0अ0सं0 456/21 धारा 419,420,467, 468,471 भादवि व 12 पासपोर्ट एक्ट में अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण–

1. गुलशन राजभर (उम्र लगभग 25 वर्ष) पुत्र श्रवण राजभर नि0 युसुफपुरा ड़ाडी थाना कोपागंज।
2. फरजाना खातून उर्फ सोना राजभर (उम्र लगभग 26 वर्ष) पुत्री फरमान अली खान नि0 असनारा थाना मधुपुर जिला तन्गेल बाग्लादेश।

बरामदगी–

1. 02 फर्जी पासपोर्ट (भारत व बांग्लादेश)।
2. फर्जी आधार कार्ड।
3. बैंक पासबुक
4. फर्जी विवाह सम्बन्धी शपथ पत्र।

अवैध तमंचा व कारतूस के साथ एक शातिर गिरफ्तार–

थाना कोतवाली पुलिस द्वारा आज दिनांक 22.11.2021 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर मड़ैयाघाट पुल के पास से अहीर अहमद पुत्र जीमल अहमद निवासी हठ्ठी मदारी थाना कोतवाली मऊ के कब्जे से एक अदद अवैध तमंचा 315 बोर व एक जिंदा कारतूस 315 बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 458/21 धारा 3/25 आयुद्ध अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

शांति भंग की आशंका में कुल 20 व्यक्ति गिरफ्तार–

जनपद के विभिन्न थानों द्वारा आज दिनांक 22.11.2021 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान, थाना चिरैयाकोट पुलिस द्वारा सूरज, दिलीप निवासीगण जमीनअताउल्ला, गोलू निवासी टेल्हुआ, टुनटुन चौहान, धर्मेन्द्र चौहान, रामसमुझ व सोंचन निवासीगण भीखमपुर थाना चिरैयाकोट, थाना दोहरीघाट पुलिस द्वारा सुनील सोनकर निवासी बरहज देवरिया व विशाल राय निवासी फरसरा बुजुर्ग थाना दोहरीघाट, थाना हलधरपुर पुलिस द्वारा दिनेश यादव निवासी पहदेवजीत थाना हलधरपुर, थाना मधुबन पुलिस द्वारा पवन यादव, बब्बन व जगदीश यादव निवासीगण चक्की मूसडोही थाना मधुबन व थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा नियाज अहमद निवासी शेखवाड़ा, कपूर सोनकर निवासी बरईपुर, साहब साहनी, तेतरी साहनी, गुड़िया साहनी, दुर्गावती साहनी, सुमन साहनी निवासीगण सरैंया थाना मुहम्मदाबाद मऊ को शांति भंग की आशंका में धारा 151 सीआरपीसी के अन्तर्गत गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।